

प्रारूप-30  
FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

Dated 15/4/2019

No. R-122/19

**TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.125 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division, P.W.D. Pauri for Construction of Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal District falls within jurisdiction of Chama pani, Dhoul kandi village (s) in Sri nagar tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.125 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Dhiraj Singh Garhyal)  
District Collector, Garhwal  
**जिलाधिकारी**  
**गढ़वाल**

**FORM-II**  
(For linear projects)  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Garhwal

No--- 2-122/19Dated 15/4/2019

To WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.125 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division, P.W.D. Pauri for Construction of Chamapani-Dhaul Kandi Motor Road Extn. Upto Kanda Mandir (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of of Chama pani, Dhaul kandi village (s) in Sri Nagar tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.125 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **annexure 01 to annexure 02**
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Dhaul Kandi villages is enclosed as **annexure 01 to annexure 02**
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Each: As above.

(Dhird Singh Garbwal)  
District Collector, Garhwal  
**पदबाल**

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT Garhwal (U.K.)

R-122/19

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under  
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act  
(FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Garhwal District constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dhiraj Singh Garbyal, I.A.S, deputy commissioner, Pauri on dated 15/4/2009.. at time 12:45... am.at Pauri in which the application claiming rights in area measuring 2.125 Hectare for the construction of From Dehalchauri-Pauri Motor Road to Chamapani-Daulkandi upto Kanda Mandir of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Kot** sub division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pauri,

Dated: .....


Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee

15/4/09

It is further Certified that minutes of meeting of Construction of From Dehalchauri-Pauri Motor Road to Chamapani-Daulkandi upto Kanda Mandir Motor Road (5.000 Km.) regarding FRA is as following:

Sl No.		Remarks
(a)	The complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire <b>2.125 hectares</b> area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Sub Division level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversions of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

  
Member District Board  
Pauri Garhwal

  
District Social Welfare Officer  
Pauri Garhwal  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
पौड़ी गढ़वाल

  
Divisional Forest Officer  
Pauri Garhwal  
प्रमोद कर्माधिकारी

विजिल एव सैयम वन प्रभाल  
गोडी

  
Executive Engineer  
Construction Division  
PWD, Pauri

  
Deputy Commissioner  
Garhwal, Pauri  
जिलाधिकारी  
गढ़वाल

## निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त कोट ब्लॉक में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में देहलचौरी-पौड़ी मोटर मार्ग से चामापानी-धौलकण्ठी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.000) हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि 2.125 हे० लो० नि० वि० को उपखण्ड स्तरीय समिति की संस्तति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यवर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(धीराज सिंह गढ़वाल)  
जिलाधिकारी  
पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत देहलचौरी-पौड़ मोटर मार्ग से चामापानी-धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.000)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सतपुली  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, पोखड़ा  
उपखण्ड श्रीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत श्रीनगर ( 0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 2.125 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.000 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.125 हे० वन भूमि ) का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्रीनगर) की दिनांक \_\_\_\_\_ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री \_\_\_\_\_, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।


- |                            |                            |         |                      |       |
|----------------------------|----------------------------|---------|----------------------|-------|
| 1- श्री <u>महादेव जोशी</u> | उपजिलाधिकारी               | अध्यक्ष | <u>श्री. ल. जोशी</u> | सदस्य |
| 2- श्री <u>महादेव जोशी</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी      | सदस्य   | <u>श्री. ल. जोशी</u> | सदस्य |
| 3- श्री <u>महादेव जोशी</u> | सहायक सचिव, कल्याण अधिकारी | सदस्य   | <u>श्री. ल. जोशी</u> | सदस्य |
| 4- श्री <u>महादेव जोशी</u> | सहायक सचिव, कल्याण अधिकारी | सदस्य   | <u>श्री. ल. जोशी</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देहलचौरी-पौड़ मोटर मार्ग से चामापानी-धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर परियोजना हेतु 2.125 हे० वन भूमि


प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, \_\_\_\_\_ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड श्रीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत देहलघौरी-पौड़ी मोटर मार्ग से चामापानी-धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर परियोजना के निर्माण हेतु 2.125 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

  
 उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील-श्रीनगर  
 जनपद पौड़ी गढ़वाल  
 श्रीनगर गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
 उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील-श्रीनगर  
 जनपद पौड़ी गढ़वाल  
 उपजिलाधिकारी  
 श्रीनगर गढ़वाल

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत देहलचौरी-पौड़ मोटर मार्ग से चामापानी-धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर का निर्माण कार्य।  
(लम्बाई 5.000)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
ग्राम पंचायत का नाम तलगल  
तहसील श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल  
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत देहलचौरी-पौड़ मोटर मार्ग से चामापानी-धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 2.125 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि 0.00 हे०) अर्थात् कुल 2.125 हे० वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धौलकण्डी द्वारा दिनांक 28-11-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चामापानी व धौलकण्डी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



28/7/2018

दिनांक 28/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धौलकण्ठी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	मधुवा लाल धौलकण्ठी	निधि सिंह
	निधि सिंह धौलकण्ठी	निधि सिंह
	सुरेंद्र सिंह धौलकण्ठी	सुरेंद्र सिंह
	सावर सिंह गारवा धौलकण्ठी	सावर
	दिनेश रावत धौलकण्ठी	दिनेश रावत
	श्रीधर सिंह रावत - धौलकण्ठी	श्रीधर सिंह
	रविन्द्र सिंह रावत - धौलकण्ठी	रविन्द्र
	बलवीर लाल चामपानी	बलवीर लाल
	बकीत देवी - चामपानी	बकीत देवी
	राजेन्द्र - चामपानी	Rajendra
	अजित - चामपानी	अजित
	विमल लाल - चामपानी	विमल लाल
	सतीश सिंह - चामपानी	सतीश सिंह
	मनोहर सिंह - चामपानी	मनोहर सिंह
	श्रीधर सिंह खड्डा - मोदिगाड	श्रीधर सिंह
	Sandeep Khanda - मोदिगाड	Sandeep
	मोदिगाड प्रसाद चमोली - कुंडोली	मोदिगाड
	जगदम्बा प्रसाद चमोली - कुंडोली	जगदम्बा प्रसाद
	विलासनी चमोली - कुंडोली	विलासनी
	बासवानन्द - मोदिगाड	बासवानन्द
	दशपात - मोदिगाड	दशपात
	पंकज - मोदिगाड	Pankaj



## अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत चोलकण्डी व चामपानी एवं गोदीगाड़ से  
जाने वाली सड़क निर्माण में ग्राम पंचायत कण्डोली  
के ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है।



- (१) लक्ष्मण
- (२) हर्षपाति
- (३) आश्वकानन्द
- (४) चिन्मयी चमोली
- (५) दुर्गा प्रसाद चमोली
- (६) जगदम्बा प्रसाद चमोली
- (७) गिरिधर चन्द चमोली
- (८) सन्दीप
- (९) संजय डावाड
- (१०) अमिता देवी
- (११) मेतमणी चमोली
- (१२) राजेन्द्र प्रसाद

हस्ताक्षर  
हर्षपाति

गोदीगाड़  
चिन्मयी चमोली

दुर्गा प्रसाद चमोली

जगदम्बा प्रसाद चमोली

गिरिधर चन्द चमोली

Sending

अमिता देवी

मेतमणी चमोली  
राजेन्द्र